न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20 / 2016

अपीलांट्स–

1. तारू खां पुत्र मेहरदीन
2. पीरू खां पुत्र मेहरदीन
3. ईसाख पुत्र मेहरदीन
4. वरियान पुत्र मेहरदीन
5. हनीफ पुत्र खमीशा
6. सफी पुत्र खमीशा
7. अजु पत्नी खमीशा

जाति मुसलमान निवासी लंगों की ढाणी, पटवार हल्का धारवी कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. जमे खां पुत्र फता खां
2. नूरा पत्नी फता खां
3. हुसैन खां पुत्र कमाल खां
4. वसीर खां पुत्र कमाल खां
5. जानु खां पुत्र कमाल खां
6. सामीर खां पुत्र कमाल खां
7. हैदर खां पुत्र कमाल खां
8. खानी पत्नी कमाल खां
9. गनी खां पुत्र कादर खां
10. छोटू खां पुत्र कादर खां
11. सुगनी पत्नी कादर खां

जाति मुसलमान निवासी लंगों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर

12. पटवारी हल्का धारवी कला
13. भू–अभिलेख निरीक्षक, भिंयाड
14. तहसीलदार शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध ग्राम लंगो की ढाणी के नामान्तरकरण सं. 219 स्वीकृति दिनांक 29.06.2015 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सारंगराम, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से11 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 12से14 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12 / 02 / 2020

1. अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा लंगों की ढाणी के नामान्तरकरण सं.

जिला कलक्टर बाड़मेर

219 पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा लंगों की ढाणी के खसरा नम्बर 87, 88, 90 व 116 रकबा क्रमशः 00–16, 271–09, 96–03, 114–04 कुल 482–12 बीघा भूमि जमेखां वल्द फता, नूरा पत्नी फता, गनीखां, छोटूखां पि0 कादर खां, सुगनी पत्नी कादर खां, हुसैन खां, बशीर खां, जानुखां, सामीरखां, हैदरखां पि0 कमालखां, खानी पत्नी कमालखां, पीरेखां, ईशाकखां, वरियामखां, तारूखां पि0 मेहरदीन खां, अजु पत्नी खमीशाखां, हनीफखां, सफी मोहम्मद पि0 खमीशे खां कौम मुसलमान साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) के वाद संख्या 53/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2012 के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 219 दायर कर हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 29.06.15 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट ने अपील मीमो में प्रकट किया कि विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। इस भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद संख्या 53/2006 प्रस्तुत किया जो एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.06.2012 को डिक्री किया गया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील सं. 3397/15 पेश की गई जिसमें पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.06.15 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 15.05.2015 की क्रियान्विती स्थगित रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार शिव द्वारा सहायक कलक्टर (एसडीओ) के निर्णय दिनांक 29.06.2012 के अनुसरण में

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 29.06.2015 को पारित कर दिया। अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार शिव द्वारा स्थगन की जानकारी होते हुए एवं बिना अपीलांट को सुनवाई किये अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध एवं राजस्व नियमों एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह जवाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मूल प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा उसी भूमि के सम्बन्ध में एक ही विषयवस्तु का यह दूसरा प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं पारित डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय के द्वारा डिक्री को बहाल किये जाने की दशा में राजस्व रेकर्ड इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत की गई है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में पारित किया गया हैं ऐसे में यह अपील प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के द्वारा राजस्व वाद सं. 53/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2012 के अनुसरण में पारित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2015 के द्वारा निर्णय डिक्री को यथावत बहाल रखे जाने के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन पारित किया हुआ था तथा उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला न्यायालय आदेश की अवमानना से सम्बन्धित होना प्रतीत होता है साथ ही यह भी अभिलेख के तौर पर स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में भरा गया हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी अधिकारों की घोषणा से सम्बन्धित वाद की द्वितीय अपील भी राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अन्तिम निश्चय किया जा सकेगा। यह नामान्तरकरण अपील कतई मेंटेनेबल नहीं होती है बल्कि अपीलांट को सक्षम न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष अवमानना प्रकरण एवं द्वितीय अपील में चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर